# N.G.V.S.

# Progress Report 2020-21

## NAVADA GRAMUDHYOG VIKAS SAMITI

Cont : 059022-259665/64

Mob. 8906026786,9410071882

Mohalla Bagla, Amroha U.P. 244221

## Progress Report – 2020-21

# Navada Gramudhyog Vikas Samiti

<u>Mohalla Bagla, Amroha U.P. 244221</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Name of Organization | : | Navada Gramudhyog Vikas Samiti |
| 2. | Address | : | Mohalla Bagla, Amroha<br>U.P. 244221 |
| 3. | Office Address | : | Moh. Bagla, Amroha<br>Near Modern Public School |
| 4- | Head of Organization | : | Viqar Mehdi Naqvi (Secretary) |
| 5. | Telephone Number | : | 05922-259664/65<br>8906026786,9410071882,9412144548 |
| 6- | Reg. No. & Date of Organization | : | Reg. No. 140 Date : 16-05-1991 |
| 7. | Registration Validity | : | 2026 |
| 8- | Registration Act | : | Act 21/1860 |
| 9. | Progress Report | : | 01-04-2020 to 31-03-2021 |

# परिचयः

समाज के गरीब, निःसहाय एवं बेसहारा लोगों के जीवन यापन एवं उनको दैनिक समस्याओं से झूझता देख शायद ही किसी के मन में सहानुभूति न उमड़ती होगी, और सवाल उत्पन्न नही होता होगा कि ऐसा क्या कारण है कि यह समस्या आखिर क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के एक बड़े हिस्से को अपने क्रूर पंजों में जकड़े रखती है? यही सवाल स्वयं सेवी संस्था के संस्थापक श्री अली मकीन नकवी के मस्तिष्क में उस समय उत्पन्न हुए जब उन्होंने समाजिक कार्यप्रणाली में समाज के एक विशेष हिस्से की उपेक्षा देखी। इस असमानता को दूर करनें एवं मानवता को धर्म समझे श्री नकवी नें इस संस्था की स्थापना अब से 25 वर्ष पूर्व सन् 1991 में, कार्यालय सहायक रजिस्टार, चिट फण्ड सोसायटीज, मुरादाबाद में विधिवत रूप से पंजीकृत कराकर की। तभी से समाज सेवा के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संस्था का विधिवत रूप से नवीनीकरण हो रहा है।

अपने उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए संस्था द्वारा जनपद अमरोहा व मुरादाबाद, बिजनौर, बुलन्दशहर, सम्भल, रामपुर एवं आजमगढ़ में विभिन्न प्रकार के रोजगारपरक प्रशिक्षण, सेमिनार एवं वर्कशाप, शिल्प उत्थान हेतु कार्यक्रम, लोक कार्यक्रम, पेयजल जागरूकता शिविर, दुग्ध पालन प्रशिक्षण शिविर, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर, पल्स पोलियो, परिवार कल्याण जागरूकता शिविर, महिला जागरूकता शिविर, विकलांगो हेतू प्रशिक्षण/कृत्रिम अंग वितरण शिविर इत्यादि कार्यक्रमों के समय समय पर आयोजन करके क्षेत्र की जनता में जन जागरूकता व सामाजिक आर्थिक विकास उत्पन्न करनें हेतू बराबर प्रयास कर रही है। संस्थान द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर ग्रामीण व शहरी लोगों की आवश्यकताओं के आधार

पर उन्हे प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है। संस्था समाज के सभी वर्गों मुख्यतः अनुसूचित जाति, जन जाति, अल्पसंख्यक समाज के उपेक्षित वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनें वाले लोग तथा पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इसी तरह महिलाओं के उत्थान हेतू कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। विशेष रूप से संस्था विकलांगो के हितार्थ में कार्यरत है तथा विकलांग बन्धुओं को हर सम्भव सहायता सुलभ करानें मे समय समय पर लाभ पहुंचानें में प्रयासरत है। संस्था आगामी दिनों में जनपद के गरीब बेसहारा लोगो के लिए प्रशिक्षण आदि कराकर उन्हे स्वावलम्बी बनानें का कार्य कर रही है। इस समय संस्था द्वारा बहुत से युवक/युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण करा रही है। जिसमें शासन प्रशासन व भारत सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। प्रशिक्षण उपरान्त इन युवक/युवतियों को रोजगार सुलभ कराने में बराबर प्रयास कर रही है। इसी कार्य में संस्था सिलाई, और रेडीमेड गारमेण्ट्स, ब्यूटिशियन आदि का प्रशिक्षण कराकर इनको रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रही है। जिससे बेरोजगारी का समाधान हो सके। आगामी वर्षों में संस्था स्ट्रीट चिल्ड्रन, मांन्सिक रूप से पीड़ित लोगों के लिए अस्पताल, मोबाइल डिस्पेन्सरी, वृद्वों के लिए जन सुविधा उपभोक्ता व वृक्षारोपण, महिला जागरूकता कार्यक्रम परिवार कल्याण व अनु0 जाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करानें में प्रयत्नशील है। जिससे जनपद में और लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। संस्था कई वर्षो से विकलांग बच्चों को शिक्षण व प्रशिक्षण करा रही है। जिसमें पिछले दो सालों से भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के उपक्रम दिव्यांग जन

विकास कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग जन बच्चों स्कूल के संचालन हेतु संस्था को अनुदान मिल रहा है।

संस्था के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं संस्थाओं द्वारा पंजीकृत किया गया तथा सम्बद्वता प्रदान की गयी। जिनमें प्रमुख पंजीकरण निम्न प्रकार हैं–

## आई0एस0ओ0 9001:2008 द्वारा प्रमाणिकरण:

संस्था को प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सेवायोजन, मान्सिक मंदता के क्षेत्र में शिक्षा तथा हस्तशिल्पियों एवं श्रमिक वर्ग के उत्थान हेतु किये गये उत्कृष्ट कार्यों के फलस्वरूप संस्था को आई0एस0ओ0 9001:2008 के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

CERTIFICATE OF REGISTRATION

*This is to certify that the Quality Management System of*

NAVADA GRAMUDHYOG VIKAS SAMITI

Address : Mohalla Bagla, District - Amroha - 244 221, (U.P) INDIA

*has been assessed and found in compliance with requirement of*

ISO 9001:2015

(Quality Management System)

Concerning the Following activities :

Providing Skill Development Training and Education, Awareness Program, Medical Health Camp and Training for Woven Right Awareness Program, Health & Sanitation Project in Rural & Slum Backward Area, Income Generation Program for Unemployed Rural Youth, Waste Management, Welfare Program and Social Works, Zari Craft Special Education & Skill Development, Vocational Training for PWDs.

Certificate No : QMS/NGV/117/1740

1st Surveillance Date Due on 29/01/2018 ○ Date of initial registration 29/01/2017

2nd Surveillance Date Due on 29/01/2019 ○ Date of certificate expiry 28/01/2020

Date of initial registration 30/01/2014

*Subject to the company maintaining its system to the required standard*

PSA CERT

PSA QUALITY CERTIFICATION LIMITED

AIAO-BAR QMS ACCREDITED USA

Managing Director

PSA Quality Certification Limited

2nd Floor, Phool Singh Complex, Atta Sector- 27 Noida- 201301 (U.P.) India

Info@psacertification.com, www.psacertification.com

Accredited By American International Accreditation Organization

201 Los Gatos Saratoga Road, Suite 144, Los Gatos, CA 95030, USA

## एफ.सी.आर.ए., 12ए, 80जी. के अन्तर्गत पंजीकरण:

संस्था को भारत सरकार द्वारा एफ.सी.आर.ए., 12ए, 80जी. के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किये गये हैं। जिसके कारण संस्था पूर्ण रूप से आयकर मुक्त संस्था हो गयी है। साथ ही विदेशों में स्थित विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनें संविधान के अनुरूप अनुदान प्राप्त करनें में सक्षम है।

उपरोक्त पंजीकरणों के उपरान्त संस्था विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के सहयोग से निम्न सेवाएं अर्पित कर समाजिक उत्थान का कार्य कर रही है–

## एउ एम0 स्नातक महाविद्यालयः

अधिकांशतः ग्रामीण अंचल के युवक/युवतियां शहरी क्षेत्र से दूर होने के कारण अथवा आवागमन की कठिनता के कारण माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जिस कारण उनकी उच्च शिक्षा का सपना अधूरा रह जाता है। जिसको साकार करनें के उद्देश्य से संस्था द्वारा ग्राम शर्फुद्दीनपुर खेतापुर जहांगीरपुर में एक महाविद्यालय की स्थापना की गयी। जिसकी सम्बद्वता महात्मा ज्योतिबाफूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा कला एवं वाणिज्य संकाय में प्राप्त कर क्षेत्र के नव युवक/युवतियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है। भविष्य में

महाविद्यालय में परास्नातक एवं बी0एड0 सरीखे पाठ्यक्रम संचालित करनें की भी योजना है।

## नेशनल ट्रस्ट से सम्बन्धित दिव्यांगजनों के कार्यक्रम

lLFkk uoknk xkek|kx fodkl lfefr vejkgk tuin vejkgk u fn0;kxk d {k= e dk;l djr g, lkekftd U;k; o vf/kdkfjrk e=ky; Hkkjr ljdkj d miØe u'kuy VLV e jftLV'ku djk;kA lLFkk u ithdr gku d lk'pkr u'kuy VLV dh vudk ;ktukvk dk ykHk mBkr g, fodkl lUVj d lpkyu fd;s tku gr vkonu fd;kA rFkk u'kuy VLV dh ;ktuk fodkl lUVj dh lLFkk dk Lohdfr inku dh ftld ifji{k e u'kuy VLV }kjk lLFkk dk Rs. 195000/- dk vunku Setup Cost d fy, feykA ftldk mi;kx o miHkkx djr g, lLFkk u fodkl lUVj dk lpkyu 'k: dj fn;kA lUVj dk nk ckj vkpd fujh{k.k fd;k x;kA tk lrk"ktud jgkA mld mijkUr u'kuy VLV u chp e LVki yxk fn;kA ftld mijkUr lLFkk u ekf[kd o fy[kk iMh dj nkckjk lUVj dh o|rk ikIr gk x;h gA rFkk lpkyu dh ifØ;k foHkkx e Pending gA vkn'k feyr gh fodkl dUn dk lpkyu vkjEHk dj fn;k tk;xkA lLFkk }kjk lpkfyr fn0;kx tu fo|ky; e dBkj egur dj cPpk dh l[;k c<ku dk dk;l fd;kA ftld mijkUr 41 cPp fofHkUu idkj d cPp ,df=r dj ftle Mental Retardation, d 27 cPp o Deaf & Dumb d 10 cPp] o Cereble Palsy 4 d cPp f'k{kk ikIr dj jg gA

## विकलांग बच्चों हेतु विशेष विद्यालय का संचालन

हमारी संस्था कई वर्षो से सभी प्रकार के विकलांग बच्चों का मौहल्ला बगला अमरोहा जनपद अमरोहा में विशेष विद्यालय का संचालन कर रही है। जिसमें लगभग 60 बच्चें शिक्षा ग्रहण कर रहें है। संस्था को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित डी.डी.आर.एस. योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 से अनुदान मिल रहा है। जो बच्चों के पठन पाठन आदि पर उपभोग किया जा रहा है। संस्था शिक्षा ग्रहण कर रहे विकलांग बच्चों के विकलांग प्रमाण–पत्र आदि बनवाकर लाभार्थियों को लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। जिससे भविष्य में विकलांग बच्चों को लाभ मिल सकें। तथा भारत/प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल सकें।

## अली यकीन इण्टरमीडिएट कॉलेज:

ग्रामीण परिवेश में पल बढ़ रहे ऐसे नौनिहालों को जिनको प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करना किसी बड़े स्वप्न जैसा प्रतीत होता था, के लिए ग्रामीण परिवेश में ही मानविकी एवं वाणि

ज्य संकायों में इण्टरमीडिएट स्तर का विद्यालय की स्थापना की गयी। जिसमें प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा ग्रामीण छात्र/छात्राओं को अल्पशुल्क तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिसके उपरान्त उनको उच्च शिक्षा प्रदान कर उनका जीवन स्तर सुधारा जा सके।

## जन शिक्षण संस्थान का संचालनः

भारत सरकार के **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय** द्वारा संचालित जन

शिक्षण का संचालन किया जा है। जिसमें जनपद अमरोहा के गरीब बेसहारा, अ0जा0, जन जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के युवक/युवतियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कराकर उनको स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जिसमें वर्ष 2017– 18 में लाभार्थियो को विभिन्न प्रकार के रोजगार परक पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। जिनमें मुख्यतः ब्यूटी कल्चर एवं हैल्थकेयर, हैण्ड एण्ड मशीन एमब्रॉड्री, एप्पलिक एण्ड पेचवर्क, कटिंग एण्ड टेलरिंग, फेब्रिक पेन्टिंग, सॉफ्ट टॉय मेकिंग, जरी एवं जरदोजी, ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। जिसके अन्तर्गत वर्ष भर 20–20 लाभार्थियों के बैच चलाकर निरन्तर प्रशिक्षण कार्य को चलाया गया तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016– 17 में यथावत प्रशिक्षण कार्य की रूप रेखा तैयार की जा चुकी है।

## मान्सिक मंन्दता में विशेष शिक्षा में दो वर्षीय पाठ्यक्रमः–

संस्था अपने स्थापना वर्षों से विकलांग बन्धुओं के हितार्थ निःस्वार्थ भाव से कार्य करती रही है। जिसके क्रम में संस्था नें जनपद में विशेष शिक्षा के व्यपाक प्रसार के लिए **भारत सरकार के समाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय उपक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता** प्राप्त मान्सिक मंन्दता में

विशेष शिक्षा में दो वर्षीय पाठ्क्रम का आरम्भ वर्ष 2011 से किया। जिसको शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में भी मान्यता प्रदान की गयी है। इस दो वर्षीय पाठ्यक्रम में संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 से 30 अभ्यर्थियों को भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रवेश देकर भली प्रकार प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिसके उपरान्त में विशेष शिक्षा में अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। भविष्य में संस्था द्वारा मान्सिक मंदता में ही स्नातक पाठ्यक्रम के चलाये जाने की योजना है। जिसको मूर्त रूप देने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

## सी0आर0ई0 कार्यक्रमों का आयोजनः

विशेष शिक्षा में शिक्षा प्राप्त ऐसे विशेषज्ञों को जिनका पंजीकरण भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा किया गया है, को नवीन पद्वति से अवगत करानें एवं उनको आधुनिक विषयों में पारंगत एवं परिचित किये जाने के उद्देश्यों से भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अपने सम्बद्व संस्थानों को सी0आर0ई0 पाठ्यक्रम के आयोजन

की अनुमति प्रदान की जाती है। जिस क्रम में संस्था द्वारा सी0आर0ई0 कार्यक्रमों का भली प्रकार आयोजन समय समय पर किया जाता है। वर्ष 2015–16 में तीन दिवसीय सी0आर0ई0 कार्यक्रम का आयोजन संस्था के प्रशिक्षण हॉल में सम्पन्न कराया गया। जबकि अगले वित्तीय वर्ष पांच दिवसीय कार्यक्रम आयोजन की योजना हैं। जिसके लिए संस्था नें अभ्यर्थियों के पूर्व पंजीकरण प्रारम्भ कर दिये हैं।

## डूडा द्वारा स्वीकृत कौशल विकास प्रशिक्षण का संचालनः

नगर अमरोहा के ऐसे शहरी बेरोजगार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं, को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला शहरी विकास अभिकरण, (SSI) अमरोहा द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु संस्था का चयन किया गया था। जिसके अन्तर्गत संस्था द्वारा गारमेण्ट्स मेकिंग, एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत डिजीटल पहल करते हुए संस्था द्वारा उपस्थित लाभार्थियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इस योजना का समापन वित्तीय वर्ष 2016–17 में होगा। जिसके उपरान्त उनको रोजगार प्राप्त करनें में भी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

## पुरानी संस्कृति को सहेजनें के उद्‌देश्य से बिरहा कार्यक्रम की प्रस्तुतिः

भारत सरकार की पी0आर्ट्स योजना के अन्तर्गत ऐसी भारतीय संस्कृतियां एवं कलाएं जो विलुप्त होने के कगार हैं, को पुर्नजीवित कर लोगों को उनसे परिचित

करानें के उद्देश्य से संस्था को **बिरहा** कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति प्रदान की गयी थी। जिसके अन्तर्गत संस्था नें अपने कार्यक्रम हॉलमें बिरहा कार्यक्रम की भव्य प्रस्तुति कर शहरवासियों को इस पुरानी विधा से नकेवल रूबरू कराया अपितू इस प्रकार के कार्यक्रम से होने वाले स्वस्थ मनोरंजन से दर्शकों को प्रभावित करनें में सफलता हासिल की। जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से आये कलाकारों नें अपनी प्रस्तुतियां दीं।

## एक दिवसीय उर्दू सेमिनार का आयोजन :

भारत सरकार के मानव संस्थान विकास मंत्रालय के उपक्रम कौमी काउन्सिल बराए फरोगे उ्दू जबान के वित्तीय सहायता से संस्था नें एक दिवसीय उर्दू सेमिनार का आयोजन किया । जिसमें नगर अमरोहा व बाहर से आये उर्दू जबान के विद्वानों नें उर्दू जबान के विकास एवं उर्दू जबान का साहित्य की दुनिया में योगदान पर दृढ़ता से प्रकाश डाला।

## मोबाइल लायब्रेरी:

संस्था द्वारा संचालित अमरोहा बाल भवन नें राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के सहयोग से मोबाइल लायब्रेरी की स्थापना की है। जिसका उद्देश्य जनपदअमरोहा के ग्रामीण इलाकों में जाकर ऐसेबच्चों को जिनको ग्रामीण परिवेश में लायब्रेरी की सुविधा उपलब्ध नही है को पुस्तकालय उपलब्ध कराना है।उसके साथ– साथ मोबाइल लायब्रेरी के माध्यम से बच्चों में पुस्तकों केप्रति लगाव एवं उनके ज्ञान अर्जन

की भावना को प्रबल करनें के लिए यह चलती फिरती लायब्रेरी निरन्तर कार्य कर रही है।

## अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं हेतु नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमः

संस्था द्वारा भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के सहयोग से अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के नेतृत्व विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। जिसमें आवासीय एवं गैर आवासीय दोनों प्रकार के प्रक्षिण में नगर अमरोहा की अल्पसंख्यक महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व विकास के साथ–साथ उनके दैनिक जीवन से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के लिए उनका मनो विकास करना था। उसको दृष्टिगत रखते हुए संस्था नें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण हेतु विषय

सम्बन्धी विशेषज्ञों को प्रक्षिण कार्यक्रम में आमन्त्रित किया। प्रशिक्षण उपरान्त उपस्थित प्रतिभागियों को दैनिक भत्ता भी प्रदान किया गया।

## महिला ग्राहकों हेतु सेमिनार

आज के युग में महिलाओं को काफी महत्व दिया जा रहा है। तथा भारत के संविधान में महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत की हिस्सेदारी हेतु संसद में भी काफी ज़ोर दिया जा रहा है कि महिलाओं को

बराबर का हक़ प्राप्त हों आज तक देश के अधिकांश क्षेत्रों विशेष कर शहरों में ज़्यादा तर महिलाओं द्वारा ही खरीदारी की जा रही है। इसी परिपेक्ष में संस्था ने महिलाओं हेतु जागों उपभोक्ता के नाम से एक सेमिनार का आयोजन किया जिसमें महिलाओंा को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी तथा सेमीनार में उपस्थित समस्त महिलाओं व अन्य महिलाओं से प्रार्थना की कि आप जब भी किसी दुकानदार से कोई भी सामान खरीद करते है तो उसका गारण्टी बिल अवश्य लायें। जिससे वस्तु के खराब व टूट जाने पर बिल दिखाकर उस वस्तु को बदला व सही कराया जा सकें। अधिकतर देखने में आया है कि बहुत

से दुकानदार नक़द भुगतान पर वस्तु देते है। तथा उसका बिल नही देते। तथा खरीदार से यह कहकर छुटकारा पातें है कि आपको इस पर टेक्स देना पड़ेगा। जिससे आपकी कीमत में इज़ाफा हो जायेगा। इसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसका एक विकल्प बनाया है जिसके द्वारा ग्राहकों से कहा गया है कि आप छोटी से छोटी य बड़ी से बड़ी वस्तु खरीदने हेतु BHIM App या अन्य डीजिटल ट्रांक्शन का प्रयोग करें। जिससे आपका अधिकार Save रहें। ग्राहकों की सुविधा हेतु देश के प्रत्येक ज़िले में उपभोक्ता न्यायालय स्थापित किया गया है। जिससे ग्राहक को कोई भी शिकायत हो तो व अपने जनपद के उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज कर अपने क्लेम के बारे में वाद दायर कर क्लेम प्राप्त कर सकते है। संस्था समय समय पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम कर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में कार्यक्रम आयुक्त करती रहती है।

## जगों ग्राहक जागों

जग ग्राहक समझ लेंगे अपने अधिकार तब मेनत, समय और पैसा न जायेगा बेकार अपने अधिकारों को जाने, अपनी सुविधाओं को पहचानें

उपभोक्ता कौन है अपनी उपयोग के लिए वस्तुऐं खरीदने वाला और सेवाओं का लाभ उठाने वाला कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता है। क्रेता की अनुमति से ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है।

आदर्श उपभोक्ता की पहचान करना अपनी खरीद पर पूरा विश्वास, अपनी खरीद के प्रति सतर्क, अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए हिम्मत नहीं छोड़ने वाला, लेबल पढ़ने पर गंभीर, अतिक्रमण की सूचना देने में नहीं चूकने वाला, चयन करने में हमेशा सतर्क, जागरूकता फैलाने में सक्रिय, न्याय पाने के लिए अपनी लड़ाई में सतत् प्रयत्नशील।

उपभोक्ता के रूप में अपने हितों की रक्षा के लिये खरीदने से पहले वस्तु की मात्रा, गुणवक्ता, मूल्य आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। सुरक्षा

और गुणवक्ता के लिए जब और जहां उपलब्ध हो आई0एस0आई चिन्ह एग्मार्क हाल मार्किंग आदि वस्तुऐं खरीदें। खरोदोपरान्त उचित रसीद/केश ममो तथा गारन्टी कार्ड प्राप्त करें जिस पर जहां लागू हो विक्रेता की मुही और हस्ताक्षर हों। सुनिश्चित कर लें कि पैकेज में रखी वस्तुओं पर विनिर्माण की तारीख अवधि समाप्त होने की तिथि अधिकतम खुदरा मूल्य आदि को दर्शाया गया है या नहीं याद रखें के अधिकतम खुदा मूल्य सरकार द्वारा तय किया गया मूल्य नहीं होता आप मोल तोल कर सकते हैं। कोई भी विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य पर वस्तु को नहीं बेच सकता।

यदि आपके पास किसी उपभोक्ता विवाद का समाधान नहीं हुआ है तो अपने आप को असहाय महसूस न करें, अपने अधिकारों को जताने में हिचकिचाऐं नहीं, शीध्र प्रतितोष के लिए जिला उपभोक्ता मंत्र में सम्पर्क करें।

क्या आप जानते हैं कि किसी उपभोक्ता मंच में एक सामान्य शिकाय त देना ही पर्याप्त है उसके लिए कोई कोर्ट फीस नहीं ली जाती अधिवक्ता की सहायता लेना कोई ज़रूरी नहीं है आप स्वयं या कोई भी व्यक्ति जिरहा कर सकता है प्रत्येक जिले में एक उपभोक्ता मंच स्थापित है।

जागरूक उपभोक्ता राष्ट्र की धरोहर है। प्रिय उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अपनी समस्त समस्याओं व शिकायतों के निदान हेतु हमारी संस्था से सम्पर्क कर सकते हैं।

## गणतन्त्र/स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमः

15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजारोहण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें संस्था द्वारा सभी कार्यक्रमों के छात्र/छात्राओं व कर्मचारियों ने भाग लिया। ध्वजारोहण प्रातः 8 बजे संस्था

के कार्यालय मौहल्ला बगला, अमरोहा में संस्था के अध्यक्ष श्री गुलाम हसनैन ने किया। उसके उपरान्त संस्था द्वारा संचालित विकलांग स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम करके लोगों को उत्साहित किया। अन्त में सभी उपस्थित गणमान्य लोगों, कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं के लिए मिष्ठान एवं चाय का आयोजन किया गया।

## वृक्षारोपण कार्यक्रमः

संस्था नें क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण प्रतिनिधियों की सहायता से आयोजित किया। वृक्षारोपण स्कूल, ग्राम समाज व अनहार (नहर विभाग) की जमीनों व अनुसूचित जाति के लोगों की पट्टे की जमीनों पर किया गया तथा इस कार्यक्रम को एक शिविर का रूप देकर क्षेत्र की जनता में बढ़ते प्रदूषण के खतरे व प्रकृति के बदलाव के संकेत आदि पर गहन प्रकाश डालकर वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर संस्थान द्वारा प्रेरित लोगों को स्थानीय वन विभाग की सहायता से यूकेलिप्टस व पापूलर के पौधों पर छूट प्रदान करायी गयी।

## महिला जागरूकता दिवसः

संस्थान द्वारा क्षेत्र के ग्रामों मे माह जून में तीन तीन दिवसीय महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें ग्रामीण अंचल की 150 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा इन महिला प्रतिभागियों को स्थानीय समाज सेवकों, डिग्री कालिज के प्रवक्ताओं तथा संस्था के अधिकारियों द्वारा सम्बोधित किया गया और उन्हे सर्वप्रथम यह बताया गया कि महिलाओं को स्वरोजगार हेतु वह प्रशिक्षण दिलाकर कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, अचार, चटनी, मुरब्बा बनाना, हैण्डीक्राफ्ट का

काम अन्य सजावट की वस्तुएं बनाने संबधी कार्य सीखकर इस काबिल बन सकती हैं और अपने खाली समय का सदुपयोग करके वह अपने स्वरोजगार प्राप्त कर सकती हैं। जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उनके अंदर आत्म विश्वास की भावना उत्पन्न होगी तथा उनका समाज में एक स्थान होगा। तत्पश्चात महिला प्रतिभागियों के लिए संस्था द्वारा सूक्ष्म जलपान का प्रबन्ध किया गया।

## पेयजल जागृति शिविर का आयोजन :

_संस्था नें ग्रामों में रहने वाले गरीब परिवारों, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लोगों जिनके पास अपने स्वच्छ पानी के कोई स्रोत नही हैं और वे लोग ग्रामों के छिछले कुओं, पोखर, नदी आदि का पानी प्रयोग करते हैं जो कि थोड़ी सी असावधानी से पानी गंदा व अशुद्व हो जाता है और भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। उन लोगों को जागरूक करने के लिए पेयजल जागृति शिविरों का आयोजन संस्था द्वारा क्षेत्र के 8 ग्रामों में किया गया। इस विषय पर जनपद एवं पड़ोसी जनपदों के विभिन्न अधिकारीगण एवं डॉक्टरों ने बताया कि अशुद्व पानी पीनें से भयंकर बीमारी का प्रकोप हो जाता है। जैसे हैजा, पेचिश, डिप्थेरिया, टाईफाइड इन सभी बीमारियों से बचनें के लिए सदैव शुद्व और साफ जल पीना चाहिए। कुएं और पोखर आदि में लाल दवा का प्रयोग करना चाहिए। जिससे पानी में रहने वाले समस्त कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। क्लोरीन दवा को भी कुएं में डालने से पानी शुद्व किया जा सकता है। इसी के साथ–साथ ग्रामों की सफाई एवं घरों की सफाई के संबंध में उन्होनें जानकारी

दी। इन शिविरों में स्थानीय युवकों, महिलाओं, स्कूली छात्र/ छात्राओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

## मोबाइल डिस्पेंसरीः

संस्था कई वर्षों से जनपद के दूरदराज के इलाको मे निवास कर रहे बेसहारा विकलांग लोगों को मोबाइल डिस्पेंसरी के द्वारा निःशुल्क मेडिकल सुविधा प्रदान कराने हेतु इनको मेडिकल चेकअप का बीमारी के हिसाब से दवाई का प्रबन्ध करा रही है तथा उनको उनकी बीमारी से बचने के उपाय भी बताये जा रहे है। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक व अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को इसका लाभ पहुंचानों की कोशिश की जाती है।

**स्थानः** अमरोहा
**दिनांकः** 01 अप्रैल, 2021

**विकार मेहदी नक़वी**
सचिव